राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 878वी बैठक दिनांक 17.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 878वी बैठक दिनांक 17.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समा..ात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/938/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/939/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	P2/940/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/941/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	P2/942/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	P2/943/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P2/944/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/945/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	P2/946/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/947/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	P2/988/24	1(a)	खरगोन	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	P2/1013/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13.	P2/793/24	1(a)	देवास	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P2/789/24	1(a)	देवास	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
15.	P2/835/24	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	P2/795/24	1(a)	देवास	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	P2/788/24	1(a)	रायसेन	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
18.	P2/786/24	1(a)	देवास	पत्थर एवं एम–सेंड खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/810/24	1(a)	इन्दौर	पत्थर एवं मुरम खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P2/857/24	1(a)	इन्दौर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	P2/850/2024	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
22.	P2/853/2024	1(a)	इंदौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा नहीं (DEIAA - EC)	निरस्त किया जाये
23.	10569/2023	1(a)	मुरैना	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
24.	P2/863/2024	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
25.	P2/865/2024	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
26.	P2/873/2024	1(a)	मंडला	डोलोमाईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	ADS जारी किया जाये
27.	10685/2023	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
28.	P2/867/2024	1(a)	खंडवा	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	जारी किया जाये
29.	P2/843/2024	1(a)	इंदौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA - EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
30.	P2/866/2024	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

					(DEIAA - EC)	SEAC को अग्रेषित
31.	P-2/53/2024	1(c)	सागर	सिचाई परियोजना	पर्यावरणीय स्वीकृति	जारी किया जाये
32.	P2/610/2024	1(c)	खण्डवा	सिचाई परियोजना	पर्यावरणीय स्वीकृति	जारी किया जाये
33.	P2/1022/25	1(c)	शिवपुरी	सिचाई परियोजना	पर्यावरणीय स्वीकृति	जारी किया जाये
34.	P2/907/24	7(h)	उज्जैन	सीईटीपी प्लांट	पर्यावरणीय स्वीकृति	जारी किया जाये
35.	9769/2023	1(c)	डिण्डौरी	सिचाई परियोजना	पर्यावरणीय स्वीकृति	जारी किया जाये
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
1.	10127 / 23	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	अनुमोदित

1. Case No. P2/938/24 1 (a) Shri TARUN GUPTA, Partner, 1346, KUNJ VIHAR COLONI, CIVIL LINE, JHANSI, (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (60,000 cum per annum) (Khasra No. 06) Village –Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/471816/2024 DEIAA-New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

2. **Case No.** P2/939/24 1 (a) Shri TARUN GUPTA, LESSEE, 1346, KUNJ VIHAR COLONI, CIVIL LINE, JHANSI, (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (95, 376 cum per annum) (Khasra No. 06,) Village –Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/471818/2024 DEIAA-Re-appraisal]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 759 वी बैठक दिनांक **28.05.2024** में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक **28.04.2023** के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक **15.01.2024** के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक **28.04.2023** के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक **28.04.2023** में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

3. **Case No.** P2/940/24 1 (a) Shri KAILASH GUPTA, Lessee, B.N. 69 KARIYAPPA MARG, IN FRONT OF BSNL EXCHANGE, CANTT JHANSI (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,25,065 cum per annum) (Khasra No. 849) Village –Babai, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/472120/2024 DEIAA- DEIAA- New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 759 वी बैठक दिनांक **28.05.2024** में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

4. Case No. P2/941/24 1 (a) Shri KAILASH GUPTA, Lessee, B.N. 69 KARIYAPPA MARG, IN FRONT OF BSNL EXCHANGE, CANTT JHANSI (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.50 ha. (27,632 cum per annum) (Khasra No. 1/1) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/471855/2024 DEIAA-New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभि–प्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

5. **Case No.** P2/942/24 1 (a) Shri VISHAL GUPTA, LESSEE, 117/4, CIVIL LINE NEAR ALLAHABAD BANK, IN FRONT OF RED ROSE SCHOOL, JHANSI (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (28,000 cum per annum) (Khasra No. 226/1) Village –Sitapur, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/470796/2024 DEIAA- New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

6. **Case No.** P2/943/24 1 (a) Shri VISHAL GUPTA, LESSEE, 117/4, CIVIL LINE NEAR ALLAHABAD BANK, IN FRONT OF RED ROSE SCHOOL, JHANSI (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.95 ha. (97,388 cum per annum) (Khasra No. 1/1 Part) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/471892/2024 DEIAA-New]

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क्र. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

7. Case No. P2/944/24 1 (a) Shri VISHAL GUPTA, Partner, M/s JAI SHREE RAM STONE CRUSHER, 117/4, CIVIL LINE, NEAR ALLAHABAD BANK, IN FRONT OF RED ROSE SCHOOL JHANSI (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.682 ha. (19,345 cum per annum) (Khasra No. 3/1/3 & 5/1/2) Village –Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/469329/2024 DEIAA- New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

8. Case No. P2/945/24 1 (a) Shri VISHAL GUPTA, Partner, M/s JAI SHREE RAM STONE CRUSHER, 117/4, CIVIL LINE, NEAR ALLAHABAD BANK, IN FRONT OF RED ROSE SCHOOL JHANSI (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.5 ha. (32,771 cum per annum) (Khasra No. 04, 06) Village – Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) [MIN/469351/2024 DEIAA- Re-appraisal]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

9. **Case No.** P2/946/24 1 (a) Shri OM JAIN, LESSEE, 1680 CIVIL LINE JHANSI F-1(P-1) JHANSI MAURANIPUR JHANSI UTTAR PRADESH.Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.95 ha. (54,000 cum per annum) (Khasra No. 117) Village PARTABPURA Tehsil Orchha District Niwari (M.P.) [M IN/473692/2024 DEIAA-New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

10. **Case No.** P2/947/24 1 (a) Shri ATUL DUBEY, LESSEE, 1-A, KAILASH RESIDENCY, GALLA MANDI ROAD GATE, ORCHAA GATE, JHANSI (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (36,750 cum per annum) (Khasra No. 1/1,) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). [MIN/473707/2024 DEIAA-New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

11. Case No. P2/988/24 1 (a) Shri NAVEEN AGRAWAL, Authorized Person, Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (19,400 cum per annum) (Khasra No. 50/1/2) Village- Chindiya, Tehsil- Maheshvar, District - Khargone (M.P) [MIN/473249/2024 DEIAA- New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

12. Case No. P2/1013/24 1 (a) Shri VINOD AGARWAL, Lessee, 960, C.P. MISSION COMPOUND, JHANSI, SIPRI BAZAR, UTTARPRADESH.Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 0.950 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 1/12,) Village –Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) [MIN/477485/2024 DEIAA-New]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Case No. P2/793/24 Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 4.80 ha. (Stone – 41320 m3/Year) (Khasra No. 303), Village Deopipaliya, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.) [MIN/465759/2024] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755 वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

14. Case No. P2/789/24 Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti Stone in an area of 3.0 ha. (Stone (Gitti) – 50000 m3/Year, OB -22404 m3/Year) (Khasra No. 1/1 Min2 & 1/2 Peki), Village Chapda, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.) [MIN/466870/2024] (ToR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756 वी बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

15. Case No. Case No. P2/835/24 Shri Gopal Agarwal S/o Late Shri Om Prakash Agrawal, Lessee R/o Hanuman Santar Bajaj Khana Morar Gwalior, (M.P.) - 474006. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Quarry at Khasra No.– 133, an Area - 1.00 ha., khasra No. - 133, at Village - Rafadpur, Tehsil - Dabra, District Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 25,000 M3/ Year. [MIN/461137/2024] (ToR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

16. Case No. P2/795/24 Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone – 50000 m3Year, OB-24560 m3/Year) (Khasra No. 1/1 Min-2 & 1/2 Peki), Village Chapda, Tehsil Bagli, District Dewas (M.P.) [/MIN/466820/2024 (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **SOP** प्रकिया के अनुरूप **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति का **SEIAA/SEAC** द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में **ToR** जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण **SEAC** समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें **Standard ToR** जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

17. Case No. P2/788/24 Shri Chandresh Sorthiya, Director, VELJI RATNA SORATHIA INFRA PRIVATE LIMITED, Badodra Gujrat Halmukam Village Laloi Tehsil Berasia District Bhopal (MP). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 0.836 ha. (Stone – 4560 m3/Year) (Khasra No. 183/1/1), Vill. Samnapurkalan, Tehsil – Gauharganj, Distt. Raisen (M.P.) [MIN/463856/2024] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

18. Case No. P2/786/24 JEEVAN YADAV, Proprietor of MS Bhumi Mines, R/oPalnagar Dewas, Ditrict-Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti amd M-Sand in an area of 4.00 ha. Stone– 25,000 m3/Year, OB-18000 m3/Year) (Khasra No. 860), Village- Phavda, Tehsil- Sonkatch, and District- Dewas (M.P.) [MIN/463581/2024] -TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

19. Case No. P2/810/24 Shri Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED R/o-23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Basalt Stone and Murrum in an area of 3.90 ha. (Basalt Stone – 90,000 m3/Year and Murrum – 12000 m3/Year) (Khasra No. 3), Village Jamanya Jagir, Tehsil Mhow, District Indore (M.P.). [MIN/466613/2024] TOR

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757 वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Case No P2/857/24 ANTIM SHRIWAS, Lessee, R/o-Village- Surpala, TehsilBadwaha, District- Khargone, M.P Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone (Gitti) – 20520 m3/Year, OB-4320 m3/Year) (Khasra No. 131/1/1/5), Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.) (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (**Office Memorandum**) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (**Office Memorandum**) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

21. Case No. P2/850/24: Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of Stone (Gitti) – 2090 m3/Year, at Khasra No. 574/2, at Village Chirola, Tehsil Khachrod Dist. Ujjain (M.P.) by Shri Mitesh Jain S/o Shri Sureshkumar Jain, R/o 42, Budhdh Marg, Khachrod, Dist. - Ujjain (MP)- SIA/MP/MIN/ 468666/2024- DEIAA

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन फार्म, ईएमपी एवं पीएफआर में खसरा नम्बर 574/1 अंकित किया गया है जबकि पोर्टल पर संलग्न लीज स्वीकृति आदेश, अनुमोदित खनन योजना एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र एवं DEIAA द्वारा जारी EC अनुसार खसरा नम्बर 574/2 अंकित है। अतः दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निर्णय लिया गया कि लीज स्वीकृति आदेश,

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुमोदित खनन योजना एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र एवं DEIAA द्वारा जारी EC अनुसार सही खसरा नम्बर 574/2 को मान्य किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र कमांक 1062/खनिज/2016 – 17 दिनांक 14.07.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.07.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं अस्थाई टीनशेड से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद समस्त पेड़ो को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. Case No. P2/853/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi mechanized method) in an area of 1.9 ha. for production capacity of 8000 cum per annum at Khasra No. 299/6/2, 299/07, at Village Vijaypur Tehsil Depalpur District Indore (M.P.) by Shri Salman Khan S/o Shri Sama Khan, R/o Main Marg Sagour Nagar Palika Office Kai samne, Piyhampur, Dhar (M.P.)- SIA/MP/MIN/469084/2024 DEIAA-Re-appraisal B-2

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:–

"समिति द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि उत्तर दिशा में आबादी 49 मी. एवं पश्चिम दिशा में आबादी 25 मी. पर है। अतः निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है अतः समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकती।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. Case No 10569/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 40000 cum per year (as per DEIAA EC) at Khasra No. 124, 125, at Village-Malkhanpura, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) by Smt. Rakhi Mavai W/o Shri Prabal Pratap Singh Mavai, R/o Jai Nagar Kothi, High School Field, Ganeshpura, District-Morena (MP)-476001 [441515] - DEIAA

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन, ईएमपी, पीएफआर एव अनुमोदित खनन योजना उत्पादन क्षमता 150234 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है जबकि DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष की है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति अनुसार उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर ही मान्य की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक/क्यू/ खनिज/प्रक/क्यू एल/21/2015 मुरैना दिनांक 22.08.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.08.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. Case No. – P2/863/2024 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi mechanized method) in an area of 1.00 ha. for production capacity of 5292 cum per annum, at Khasra No. 413/1 & 413/3, at Village Ambada Tehsil Amla District Betul (M.P.) by Shri Upendra Suryawanshi S/o Shri Nathu Prasad Suryawanshi, R/o Chandrashekhar ward Sadra Betul, Tehsil & District- Betul (M.P.) B-2 DEIAA- Re-appraisal

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कार्यालय जिला बैतूल के पत्र कमांक खनिज–1/17/1553 दिनांक 29/11/2017 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.11.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले तालाब से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. Case No P2/865/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi mechanized method) in an area of 2.97 ha. for production capacity of 18,277 cum per annum at Khasra No. 278/1, 278/2, 280, 281, 103/3, 103/4, 276, at Village Gangerua, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.) by Smt Iqubal Sani Shaikh, R/o Ward no 8 Purana thana road Tehsil & District Balaghat (M.P.) B-2 DEIAA-Reappraisal.

स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759 वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना दिनांक 13.04.2017 की वैधता 12.04.2022 में समाप्त हो गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 23.04.2024 को किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

26. Case No P2/873/2024: Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast Semi Mechanized Method) for production capacity of 16,690 TPA, (As per Approved Mine Plan) in an area of 1.81 ha., Khasra No. 450, 452, 457, Village - Kata Mal, Tehsil Bichhiya, District Mandla (M.P.) by Shri Nitin Agrawal, R/o Near Old State Bank, Civil Lines, Mandla (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पी.एफ.आर दिपोर्ट इस प्रकरण से संबधित नही है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 10685/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस. इन्फ्रा, पार्टनर श्री पवन खटीक, निवासी– वीर सावरकर मार्केट दुकान नं. 05, जिला शिवपुरी (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38475 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.279 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 119, ग्राम मुहालढेहर, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ई.आई.ए. रिपोर्ट आपलोड नही किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

28. Case No P-2/867/2024 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi Mechanized Method) in an area of 3.0 ha. for Production capacity Stone - 21708 m3/Year Khasra No. 340/1,340/2,351/1, 338, 335, 320, 339, 337, Village- Morghadi, Tehsil- Punasa, District - Khandwa (M.P) by Shri Nilesh Patel S/o Shri Arvind Bhai Patel R/o niwasi -narmada, hospital ke pass sanawad Tehsil-Badwah Dist-Khargone (M.P.).

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्र. 13686 दिनांक 02.11.2015 एव लीज अनुबंध दिनांक 16/11/2016 अनुसार 10 वर्ष की स्वीकृति (08.11.2016 से 07.11. 2026 तक) है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक" **नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. Case No P2/843/24 Prior Environmental Clearance for Stone mine (Opencast Semi Mechanized Method) for production capacity of 90,000 M3 /Year in an area of 3.577 ha. Khasra No. 1034/1,

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Village - Ambachandan, Tehsil- Mhow, District- Indore (MP) by M/s Patwala Minerals And Mines Pvt. Ltd Shri Rajkumar Patwala, Director, R/o 72 Sukh Niwas, Cat road Rau, Rangwasa, District- Indore, (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान परिलक्षित है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है जिस कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी में आता है, जबकि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा इन्दौर द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2453 दिनांक 22.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 खनिपट्टा स्वीकृत होना बताया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड लीज स्वीकृत आदेश क्र. 12363/64 दिनांक 17.07.2014 एवं लीज अनुबंध अनुसार लीज की वैद्यता 10 वर्ष (17.07.2014 से 16.07. 2024 तक) अंकित है जो समाप्त हो गई है एवं अनुमोदित खनन योजना की वैधता भी समाप्त हो गई है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित नही है। तथा प्रस्तावित खदान से नेशनल पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य/पारिस्थिक संवेदी जोन की दूरी स्पष्ट नही है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30. Case No P2/866/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Mechnized Method) for production capacity 16530 M^3/Year , in an area of 2.65 ha. at Khasra No. 130 (Change 217), 134 (Change 222), at Village- Banki, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.). by Smt. Zahira Shekh, Owner, R/o ward no - 8 old Thana Road , Tehsil & District Balaghat (M.P.) (B-2)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना दिनांक 12.04. 2017 की वैधता 11.04.2022 में समाप्त हो गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन दिनांक 06.05.2024 को किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

31. Case No P-2/53/2024: Prior Environment Clearance for Jera Medium Irrigation Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM. Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare irrigation in 22 nos. villages of District Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts by Project Administrator, Jera Medium Irrigation Project, Department of Irrigation, Office of the Project Director Bina Project Management Unit, Water Resources Department, Sagar (M.P.)- 474001.Email:ndra.mishra.wrd@mp.gov.in Proposal No.SIA/MP/RIV/457425/2024

i. उक्त प्रकरण जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना बांध मध्यप्रदेश के सागर जिले की जैसीनगर तहसील के जेरा गांव के पास धसान नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा सागर जिले की 5,400 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में जैसीनगर तहसील और रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

ii. परियोजना का कमांड क्षेत्र 5,400 हेक्टेयर है; इसलिए ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित 14 अगस्त 2018 के अनुसार, यह एक श्रेणी बी "2" परियोजना है (मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें सीसीए>2000 हेक्टेयर और <10000 हेक्टेयर है) और इसलिए इसका मूल्यांकन SEIAA/SEAC, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा।

iii. SEAC की 725 वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में विचार किया गया था और समिति द्वारा परियोजना सम्बंधित अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी जिसका जवाब परियोजना प्रस्तावक द्वारा 02.09.2024 को जमा किया गया था।

iv. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन का पत्र क्र. 5082 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य परियोजना क्षेत्र से 51 किमी की दूरी पर स्थित है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सागर के पत्र क्र. 4097 दिनांक 28.02.2023 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी 67.30 किलोमीटर है। अतः परियोजना General condition से परे है।

v. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 720.6704 हेक्टेयर है जिसमे शासकीय भूमिः 64. 999 हेक्टेयर निजी भूमिः 630.4020 हेक्टेयर वन भूमिः 25.2694 हेक्टेयर शामिल है.।

vi. परियोजना में 25.2694 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है और 25.2694 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–I वन मंजूरी, MoEF&CC द्वारा पत्र दिनांक 31/10/2024 (प्रस्ताव संख्याः FP/MP/HYD/IRRIG/430492/2023) द्वारा प्रदान की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

vii. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 01 से 23 पर अंकित है।

viii. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 के अनुसार परियोजना में निर्माण चरण के दौरान भूजल का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू –जल निकासी हेतु अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ix. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Proposal No. & submission	SIA/MP/RIV/457425/2024. Dtd. 04.01.24
2.	Category	1(c) River Valley Project. New B2
3.	Project Proponent	Shri G N Singh, Project Administrator, JERA MEDIUM IRRIGATION PROJECT, Department of Irrigation, Office of The Project Director Bina Project Management Unit, Water Resources Department, Sagar (M.P.) 474001.
4.	Project Name & Area	Prior Environment Clearance for Medium Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM. Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare irrigation in 22 nos. villages ofDistrict Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts
5.	Description of Project.	Jera Medium Project is proposed to construct dam on Dhasan river near Village Jera in Tehsil Jaisinagar of District Sagar. Maximum height of the dam is 20.01 M and gross storage of the dam 24.78 MCM. Project will serve irrigation in CCA 5400 hectare by underground pressurized pipe sprinkler irrigation in 22 nos. villages of District Sagar and 1 village of District Raisen. Submergence area of the project spread over Sagar and Raisen districts comprises of Private Land 630.402 Hectare, Forest Land 25.2694 Hectare and Govt. Land 64.999 Hectare.
6.	Total Project Cost	17088 Lakhs.
7.	Private Land Owners	There are 1443 landowners of private land.
8.	Total forest land	Total Forest land: 25.2694 ha out of total forest land , Protected Forest: 25.1333 ha; Reserved Forest: 0.1364 ha.
9.	Forest Area clearance	25.2694 ha obtained from MoEF & CC vide Proposal No. FP/MP/HYD/IRRIG/430492/2023 dated 31/05/2023.
10.	Area affected due to Project	The total land required for the construction of proposed project activities involves 630.402 ha of private land. Total 4 villages of Jaisinagar tehsil in Sagar district and 8 villages of Begamganj tehsil in Raisen district will be affected. Total 1443 land owners from these 12 villages will be losing land only due to submergence area, dam sheet and spill channel.No displacement is involved in the project.

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	Area proposed for green belt (in Ha)	Green belt is proposed along the periphery of reservoir covering an area of 21.80 ha
12.	CER	The CER scheme with physical targets shall be approved by CEO Zila Panchayat. CER shall be undertaken as envisaged at a budget of Rs 42.00 Lakh; In the CER, overall budgetary proviosion and activities shall be incorporated as suggested bythe committee.
13.	EMP	A revised budgetary provision of Rs. 6821.84 Lakh is made for Environmental Management Plan with Rs 6378.00 lakh as capital cost and Rs 443.84 lakh as recurring cost.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण की 869 वीं बैठक दिनांक 15.02.25 में विचार विमर्श के बाद ADS जारी कर जानकरी चाही गई निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20.02.25 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. माननीय सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा MoEF&CC भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में स्टेज–II की वन अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

iv. बिजली के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

v. पेड़ को कटने से बचाने हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पाइपलाइन बिछाते समय यदि कोई पेड़ पाइप लाइन में आने की दशा में पाइप लाइन को डाइवर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

vi. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थायी संरचनाओं (पीएच, डीसी आदि) के निर्माण के लिए अर्जित भूमि और संपत्ति का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करे।

vii. कमांड क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के सुधार के लिए अप्रोच चैनल, एप्रोच रोड और निरीक्षण पथ, पंप हाउस की सीमा आदि पर वृक्षारोपण की जाना चाहिए ।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

viii. बांध की संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को बांध के डिजाइन की समीक्षा कर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधि) के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

ix. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

x. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

32. Case No. – P2/610/2024: Prior Environment Clearance for Khandwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 53,330 ha. of CCA in Khandwa district. Total 84 Villages of Khandwa & Pandhana Tehsils of Khandwa District (M.P.) by Shri SANDEEP SHARMA, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19 Bhikangaon, Khargone (M.P.), 451331.. Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, SIA/MP/RIV/518314/2024

1. खंडवा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना की लगभग 53330 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस योजना से खंडवा जिले की खंडवा और पंधाना तहसील के कुल 84 गांव लाभान्वित होंगे और खंडवा जिले की हरसूद तहसील के नंदगांव गांव के पास आईएसपी जलाशय से पानी का लिफ्ट किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा परिवेश पोर्टल पर 20.00 हेक्टेयर हेतु आवेदन किया गया है परंतु Forest की NOC पत्र क्र. FP/MP/HYD/IRRIG/469105/2024 दिनांक 21.01.2025 के अनुसार 18.315 हेक्टेयर की अनुमति प्राप्त हुई। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र 18.315 हेक्टेयर में ही कार्य किया जायेगा। इसके साथ ही MoEF&CC द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में स्टेज–2 की वन अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत ही वन भूमि में कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

3. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कार्यालय, सिंगाजी का पत्र क्रमांक 420 दिनांक 12/03/2024 के अनुसार परियोजना क्षेत्र से अभयारण्य ओमकालेश्वर–33 किमीएवं रालामंडल–105 कि.मी की दूरी पर स्थित है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खंडवा के पत्र क्र. 985 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी 45.0 किलोमीटर है। अतः परियोजना General condition से परे है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 30 हेक्टेयर है जिसमे शासकीय भूमिः 10.0 हेक्टेयर वन भूमिः 20.0 हेक्टेयर शामिल है.।

5. परियोजना में 20.0 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है और 20.0 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–I वन मंजूरी, MoEF&CC द्वारा पत्र दिनांक 21.01.2025 (प्रस्ताव संख्याः FP/MP/HYD/IRRIG/469105/2023) द्वारा प्रदान की गई है।

6. जनसुनवाई बैठक दिनांक 12.08.24 को ग्राम गंधवा तहसील खंडवा में आयोजित की गई, जिसमें अधिकांश उपस्थित लोगों ने परियोजना की प्रशंसा की और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना को शीघ्र शुरू करने की मांग की जिसे पूर्ण करने हेतु, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जनसुनवाई में परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया गया ।

7. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 24 से 41 पर अंकित है।

8. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 के अनुसार परियोजना में निर्माण चरण के दौरान भूजल का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल निकासी हेतु अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC के बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया कि नर्मदा नदी से कुल 18.665 क्यूमेक पानी लिफ्ट करने का प्रस्ताव है। पानी लिफ्ट करने के लिए लगभग आवश्यक 41.28 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। इसकी आपूर्ति एमपीपीकेवीवीसीएल से की जाएगी ।

10. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Proposal No. & submission	SIA/MP/RIV/518314/2024. Dtd. 13.01.25
2.	Category	1(c) River Valley Project. New B1
3.	Project Proponent	Shri SANDEEP SHARMA, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19 Bhikangaon, Khargone(M.P.), 451331
4.	Project Name & Area	Prior Environment Clearance for Khandwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 53,330 Ha. of CCA in Khandwa district. Total 84 Villages of Khandwa & Pandhana Tehsils of Khandwa District (M.P.).
5.	Description of Project.	The Khandwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 53330 Ha. of CCA in Khandwa district. Total 84 villages of Khandwa & Pandhana Tehsils of Khandwa District will be benefited by this scheme and Lifting of water will be done from ISP reservoir near Nandgaon village, Harsud tehsil, Khandwa district.
6.	Supply Source/Lifting Point	ISP Reservoir
7.	Latitude/Longitude	76°38'33.01" E / 21°58'4.81" N

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

8.	District	Khandwa
9.	Delivery Point	Near village Village- Madani (PH1 & DC1) Village- - Garangaon (PH2) Village- Chich Kheda (PH3)
10.	Total Project Cost	186695 Lakhs.
11.	Forest Area clearance	Project involved Forest Land of 18.315 ha and Stage-I forest clearance for diversion of 18.315 ha forest land has been accorded by MoEF&CC, vide letter dated 21/01/2025 (Proposal No.: FP/MP/HYD/IRRIG/469105/2023).
12.	Area proposed for green belt (in Ha)	A total of 15.90 ha area will be covered for plantation under Green Belt (0.65 ha around the boundary of pumphouses and about 15.25 ha in 9 patches falling in 4 villages)
13.	CER	CER shall be undertaken as envisaged at a budget of Rs 76.50; In the CER, overall budgetary proviosion and activities shall be incorporated as suggested by the committee.
14.	EMP	A budgetary provision of Rs. 1896.66 Lakh is made for Environmental Management Plan with Rs 801.56 lakh as capital cost and Rs 1018.60 lakh as recurring cost.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसाउपरांत प्रकरण में प्राधिकरण की 869 वीं बैठक दिनांक 15.02.25 में विचार विमर्श के बाद ADS जारी कर जानकारी चाही गई निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20.02.25 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा MoEF&CC भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में स्टेज–II की वन अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

iv. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

v. पेड़ को कटने से बचाने हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पाइपलाइन बिछाते समय यदि कोई पेड़ पाइपलाइन में आने की दशा में पाइपलाइन को डाइवर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

vi. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थायी संरचनाओं (पीएच, डीसी आदि) के निर्माण के लिए अर्जित भूमि और संपत्ति का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करे।

vii. कमांड क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के सुधार के लिए अप्रोच चैनल, एप्रोच रोड और निरीक्षण पथ, पंप हाउस की सीमा आदि पर वृक्षारोपण की जाना चाहिए ।

viii. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

ix. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

33. Case No P2/1022/2025: Prior Environment Clearance for Sangatha (Aer) Irrigation Project proposes to construct a 24.0 m high dam across Aer River near Rajor (Mahukheda) village to create 22.94 MCM of gross storage of water for irrigation. CCA- 4630 ha. (As per govt. approval letter), spread over 22 villages in Pichhore tehsil of Shivpuri District by Executive Engineer, Water Resources Division Shivpuri, O/o Executive Engineer, Water Resources Division, Mahuar Colony, Shivpuri, MP – 473551. SIA/MP/RIV/518548/2025

1. उक्त प्रकरण संनघटा (एर) सिंचाई परियोजना प्रस्तावित बांध स्थल मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के राजौरा (महुखेड़ा) गांव के पास एर नदी पर है। यह परियोजना शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के 22 गांवों में 4677.97 हेक्टेयर सीसीए सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है। परंतु प्रशासकीय स्वीकृति 4630 हेक्टेयर की प्राप्त है तदानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है।
2. इस परियोजना में 22.94 एमसीएम की gross storage capacity और 21.84 एमसीएम का Live storage capacity बनाने के लिए एर नदी पर एक बांध का निर्माण शामिल है।
3. परियोजना का कमांड क्षेत्र 4677.97 हेक्टेयर है; इसलिए ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथा संशोधित 14 अगस्त 2018 के अनुसार, यह एक श्रेणी बी "2" परियोजना है (मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

सीसीए>2000 हेक्टेयर और <10000 हेक्टेयर है) और इसलिए इसका मूल्यांकन SEIAA/SEAC, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा।

4. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी शिवपुरी, जिला शिवपुरी का पत्र क्र. 1333 दिनांक 07.07.2021 के अनुसार माधव नेशनल पार्क परियोजना क्षेत्र से 19.40 किमी की दूरी पर स्थित है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, शिवपुरी के पत्र क्र. 2665 दिनांक 02.09.2024 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी 80.00 किलोमीटर तथा राजस्थान 65 किलोमीटर है। अतः परियोजना General condition से परे है।

5. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 356.97 हेक्टेयर है जिसमे निजी भूमिः 7.97 हेक्टेयर तथा वन भूमिः 349.0 हेक्टेयर शामिल है.।

6. परियोजना में 349.0 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है और 349.0 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–I वन मंजूरी, MoEF&CC द्वारा पत्र दिनांक 08/07/2024 (प्रस्ताव संख्याः FP/MP/IRRIG/32935/2018) द्वारा प्रदान की गई है। FP/MP/IRRIG/32935/2018

7. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 107 से 119 पर अंकित है।

8. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Proposal No. & submission	SIA/MP/RIV/518548/2025 Dtd. 15.01.25
2.	Category	1(c) River Valley Project. New B2
3.	Project Proponent	Executive Engineer, Water Resources Division Shivpuri, O/o Executive Engineer, Water Resources Division, Mahuar Colony, Shivpuri, MP – 473551..
4.	Project Name & Area	Sangatha (Aer) Irrigation Project proposes to construct a 24.0 m high dam across Aer River near Rajor (Mahukheda) village to create 22.94 MCM of gross storage of water for irrigation. CCA- 4,677.97 ha., spread over 22 villages in Pichhore tehsil of Shivpuri District
5.	Description of Project.	The Sangatha (Aer) Irrigation Project proposes to construct a 24.0 m high dam across Aer River near Rajor (Mahukheda) village to create 22.94 MCM of gross storage of water for irrigation. It will serve a command of 4,677.97 ha (CCA) spread over 22 villages in Pichhore tehsil of Shivpuri District.
6.	Total Project Cost	Rs. 15510.54 Lakh (Fifteen thousand five hundred Ten and fifty four Lakh(s) Only)
7.	Private Land Owners	There are 1443 landowners of private land.
8.	Total forest land	Total Forest land: 25.2694 ha out of total forest land , Protected Forest: 25.1333 ha; Reserved Forest: 0.1364 ha.
9.	Forest Area clearance	For diversion of 349.0ha forest land obtained FC stage I from MoEF & CC vide Proposal No. FP/MP/IRRIG/32935/2018 dated 08/07/2024.

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10.	Area affected due to Project	2 villages, Rajaura and Basai of Pichhore tehsil are affected due to private land acquisition. A total of 19 land owners from these 2 villages have been identified. There is no displacement involved in this project. As per the Collector's guidelines, cost of private land is worked out as 24.55 lakh for 5.813 ha in Basai village and 7.60 lakh for 2.158 ha in Rajaura village i.e. a total of Rs. 32.15 lakh for 7.97 ha.
11.	Area proposed for green belt (in Ha)	A total of 12.74 ha area will be covered for plantation under Green Belt.
12.	CER	CER shall be undertaken as envisaged at a budget of Rs 50.25 Lakh;

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक **28.01.2025** में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण की 870 वीं बैठक दिनांक 18.02.25 में विचार विमर्श के बाद ADS जारी कर जानकारी चाही गई निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21.02.25 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा MoEF&CC भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में स्टेज–II की वन अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

iv. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

v. पेड़ को कटने से बचाने हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पाइपलाइन बिछाते समय यदि कोई पेड़ पाइपलाइन में आने की दशा में पाइपलाइन को डाइवर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

vi. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्थायी संरचनाओं (पीएच, डीसी आदि) के निर्माण के लिए अर्जित भूमि और संपत्ति का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करे।

vii. कमांड क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के सुधार के लिए अप्रोच चैनल, एप्रोच रोड और निरीक्षण पथ, पंप हाउस की सीमा आदि पर वृक्षारोपण की जाना चाहिए ।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

viii. बांध की संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को बांध के डिजाइन की समीक्षा कर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधि) के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

ix. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

x. SEIAAद्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु **i** से **ix** को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

34. Case No. P2/907/24: Prior Environment Clearance for MPIDC (Vikram Udyogpuri) proposed Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas by DMIC VIKRAM UDYOGPURI LIMITED,NewPlot No. 152, Administrative Building,Near Village Narwar, District Ujjain (MP)- Email: vupl.parivesh@gmail.com Proposal No. SIA/MP/INFRA2/518245/2025

1. डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड द्वारा 3 एमएलडी वाले मौजूदा कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 5 एमएलडी की बढ़ी हुई क्षमता वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में अपग्रेड करने के कारण प्लांट में विस्तार किया जाना प्रस्तावित किया है, यह सुविधा, न्यू प्लॉट नंबर 152, प्रशासनिक भवन, ग्राम नरवर के पास, जिला उज्जैन में स्थित है, जिसे औद्योगिक एस्टेट में स्थित सदस्य उद्योगों से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. औद्योगिक एस्टेट और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित सदस्य उद्योगों के अपशिष्ट जल का उपचार इस प्लांट से किया जायेगा ।
3. प्रस्तावित परियोजना यह परियोजना ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची और इसकी बाद के संशोधन में केटेगरी 7(h) 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)' की श्रेणी 'बी' के अंतर्गत कवर की गई है।
4. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 20 से 31 पर अंकित है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. प्रस्तावित सीईटीपी के लिए कुल पानी की आवश्यकता 35 केएलडी ताजा पानी है जिसकी आपूर्ति डब्ल्यूटीपी, एमपीआईडीसी द्वारा की जाएगी।

6. उपचारित जल का उपयोग उपचारित जल के पैरामीटर के आवश्यक मानकों का अनुपालन करते हुए ग्रीन बेल्ट के लिए किया जाएगा । कुल ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में संपूर्ण डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र शामिल है, जो लगभग 71 हेक्टेयर को कवर करता है। विभिन्न उद्योगों के अपशिष्टों को एसएस (स्टेनलेस स्टील) पाइपलाइनों/पानी के टैंकरों की मदद से सीईटीपी संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा।

7. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

1.	Online Proposal No	SIA/MP/INFRA2/518245/2025 dtd. 12.01.25
2.	Proposal /Activity Name Location of Project	*Prior Environment Clearance for Proposed 5 MLD CETP Vikram Udyogpuri LimitedMPIDC (Vikram Udyogpuri) has proposed a Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas. By* Executive Engineer,M/s DMIC VIKRAM UDYOGPURI LIMITED, Administrative building, New plot No. 152, Village: Narwar, Tehsil & Distt.-UJJAIN (M.P.) 456664.
3.	Project Proposal For	Expansion.Cat. 7(h) Common Effluent Treatment Plants (CETPs)
4.	Description of Project	MPIDC (Vikram Udyogpuri) has proposed a Common Effluent Treatment Plant (CETP) with 5 MLD capacity coming up at New Plot No. 152, Administrative Building, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Near Village Narwar, District Ujjain-456664 to treat wastewater from member industries situated at Industrial Estate and some neighboring areas.
5.	Google image status Coordinates	23° 5'31.58"N 75°56'39.62"E 2. 23° 5'33.11"N 75°56'42.22"E 23° 5'28.27"N 75°56'43.91"E 4. 23° 5'26.63"N 75°56'43.53"E
6.	Earlier EC/CTE/CTO of Existing Projects Proposal No.	SIA/MP/NCP/302164/2023. MPSEIAA Case No. 1728/2013. Date of environmental clearance: MPSEIAA issued vide letter No, 7213/MPSEIAA/2015 dated 05/11/2015
7.	Land use planning	S.No. Particulars Total Area proposed – (Sq. Mt.) 1 Total Land Area 11702 2 Built up area 7758 2.1 CETP Area 7317 2.2 Utility-DG 335 2.3 R/M area 56 2.4 Office Block 50 3 Green Belt Area 3944
8.	Water Source	WTP, MPIDC
9.	Water Consumption	35 KLD
10.	Fuel	Natural Gas/ HSD.
11.	Total Allotted land	11702 SQM (Plot No. 48)
12.	Treatment Capacity	5 MLD

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13.	Cost of Project	25 Crore
14.	Power requirement	1100 KVA-MPEB
15.	Air Scenario	DG sets (1100 KVA x 1 nos.), Fuel- HSD
		Boiler (2 TPH x 2 nos.), Fuel- Natural Gas
16.	Total Water Requirement	35 KLD
17.	Total Wastewater generation	25 KLD
18.	Green belt Development	3944 SQM (33% of total area)
19.	EMP cost (Capital)	24.75 Crore
20.	EMP cost (Recurring)	9.10 Crore
21.	Corporate Environmental Responsibility (CER)	25 Lakhs

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण की 870 वीं बैठक दिनांक 18.02.25 में विचार विमर्श के बाद प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :

1. *"प्रस्तावित परियोजना क्षमता विस्तार की है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 "reqquirement and validity of Certified compliance report issued by the IROs of MoEF&CC/MS of SPCBs/ROs of CPCB-regarding."के परिपालन में परियोजना की Certified Compliance Report परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये।*

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।"

उपरोक्त निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21.02.25 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.06.2022 के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है :–

1 *During the process of registration for a new Environmental Clearance (EC) application on the Parivesh portal, the system displayed an error indicating that the PAN was already registered, restricting us from proceeding with a new EC application. Due to this technical limitation, we had no option but to apply under the common window of Parivesh for DMIC Vikram Udyogpuri, which only allowed us to proceed under the "Expansion" category instead of a new EC project.*

2. *The CSTP does not fall under the purview of EC as per the EIA Notification, 2006, and was included in the earlier EC granted to the entire industrial estate under Category 7(c). However, the proposed project involves the conversion of the existing CSTP into a CETP, which falls under Category 7(h) and requires a fresh EC.*

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. *Since the CSTP was not in operation, to effectively utilize the existing infrastructure, it was proposed to be repurposed into a CETP. As CETPs fall under the EC ambit, a fresh EC application has been submitted for this project.*

4. *As per the MoEF&CC Office Memorandum (OM) dated 08.06.2022, a Certified Compliance Report (CCR) is applicable for expansion projects where an existing EC is in place. However, since CSTP was never part of any EC under the EIA Notification, 2006,*

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श के बाद पाया गया कि चूँकि परियोजना में expansion परिवेश के तकनीकी problem के कारण शामिल हो गया है, एवं EIA अधिसूचना 2006 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना new केटेगरी का है, जिसमे प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है, अतः Certified Compliance Report की आवश्यकता नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक मेंबर यूनिट्स से raw effluent प्राप्त करने के लिए पर्याप्त क्षमता के साथ जमीन के ऊपर पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाना सुनिश्चित करें।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इंडस्ट्रियल एस्टेट में पूर्व से स्थापित मेंबर यूनिट्स हेतु जारी पर्यावरणीय मंजूरी में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण किया जाये।

iv. SEIAAद्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

v. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना,कार्यालयीन ज्ञापन एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा – निर्देशों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

vi. PP should ensure to make the standards norms for discharging the effluent into the CETP.

vii. PP should ensure to monitor each industry on regular basis to check whether the industries meet the CETP influent standards or not.

viii. PP should explore the possibility of utilizing treated effluent for gardening and reuse by the industries. This will ensure less use of fresh water.

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

ix. Well designed effluent distribution network with sprinklers / drip pipes should be provided for proper utilization of treated effluent for gardening / irrigation.

x. The CETP shall have and use only one outlet for the discharge of its effluent and no effluent shall be discharged without requisite treatment and without meeting with the MPPCB norms.

xi. PP shall instruct and make sure that each contributing member shall provide a storage tank having at least one day retention time, from where the effluent will go to the CETP for further treatment by pumping through rising main.

xii. PP shall strictly observe & make sure that every member shall supply entire effluent quantity to the CETP.

xiii. PP should be responsible for proper conveyance of effluent from their member units to the CETP.

xiv. PP should not keep any bypass line or system, or loose or flexible pipe for discharging effluent outside or even for conveying treated or untreated effluent within the CETP premises.

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xii को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

35. Case No 9769/2023: Prior Environment Clearance for Raghavpur Multi-Purpose Project and 25 MW Powerhouse in an area of over CCA of 17587 ha. Gross command area -25124 ha, Irrigable command area-17587 ha, Dam length- 580.00 m dam maximum height of 61.00 m, Gross storage 645.20 MCM, Live storage of 489.96 MCM at Village-Marwari, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) by Executive Engineer, Narmada Development Division No. 2, Civil Line, Near SBI Bank, District-Mandla (MP)-481661. SIA/MP/RIV/518399/2025

1. उक्त राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना गांव–मारवाड़ी, तहसील–शाहपुरा, जिला–डिंडोरी (एमपी) में 17587 हेक्टेयर सीसीए से अधिक क्षेत्र में और 25 मेगावाट पावर हाउस के साथ (नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं के तहत) पूर्व पर्यावरण मंजूरी हेतु प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित प्रकरण नदी घाटी परियोजना की है अत ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 20.04.2022 के अनुसार उक्त परियोजना का सीसीए 10000 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम बी के अंतर्गत श्रेणी 1 (सी) केटेगरी में "बी1" के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को एसईआईएए से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
3. MPSEIAA द्वारा पत्र क्रमांक 180/SEIAA/2023 दिनांक 21/04/2023 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

4. जन सुनवाई 30 जून 2024 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम घुसिया माल, तहसील डिंडोरी, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई जिसमें अधिकांश उपस्थित लोगों ने परियोजना की प्रशंसा की और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना को शीघ्र शुरू करने की मांग की जिसे पूर्ण करने हेतु, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। डैम बनने से प्रभावित आम लोगो के मछली पालने का रोजगार, आजीविका मिशन की महिलाओं को रोजगार विस्थापित लोगो हेतु सरकर द्वारा की जा रही व्यवस्था एवं डैम के आस पास के लोगो हेतु रोजगार दिए जाने का आश्वासन दिया गया ।

5. राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 4959.24 हेक्टेयर अनुमानित है। जिसमें से 3559.25 हेक्टेयर निजी भूमि, 1387.95 हेक्टेयर सरकारी राजस्व भूमि और शेष 12.039 हेक्टेयर वन भूमि है।

6. SEAC की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 64 से 85 पर अंकित है।

7. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Proposal No. & submission	SIA/MP/RIV/518399/2024. Dtd. 14.01.25
2.	Category	1(c) River Valley Project. New B1
3.	Project Proponent	Executive Engineer, Narmada Development Division No. 2, Civil Line, Near SBI Bank, District-Mandla (MP)-481661
4.	Project Name & Area	Prior Environment Clearance for Raghavpur Multi-Purpose Project and 25 MW Power house in an area of over CCA of 17587 ha. Gross command area -25124 ha, Irrigable command area-17587 ha, Dam length- 580.00 m dam maximum height of61.00 m, Gross storage 645.20 MCM, Live storage of 489.96 MCM at Village-Marwari, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)
5.	Description of Project.	Raghavpur multipurpose project envisages construction of dam with central spillway, pump house, distribution chamber, pressurized canal works and powerhouse of 25 MW capacity and to provide irrigation over CCA of 17,587 ha along with drinking water provision.
6.	Latitude	23°00`59``N
7.	Longitude	80°53`03``E
8.	Total Project Cost(in Lakhs)	Rs. 114427/-
9.	Projectaffected families	A total of **5268** project affected families have been provisionallyidentified from **45** villages of which **1304** families have been identifiedas displaced families.(*This list is provisional and the final list will be prepared anddeclared under Section **11** of the Act*).
10.	Forest Area clearance	Forest clearance for diversion of 12.039 ha of forest land has been accorded on 11th June 2024 against proposal no. FP/MP/HYD/IRRIG/427294/2023 dated 26th April 2023 by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MOEF&CC)
11.	Compensatory afforestation scheme	The total forest land required for construction of the proposed projectactivities is 12.039 hectares. Compensatory afforestation is proposed to be carried out on identifiednon-forest land in consultation with the State Forest Department and DistrictAdministration.

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

12.	Green Belt Development Scheme	Green belt will be developed along theroadsandwork areas of the project area.Plantation will be done around various project components to creategreen belt.In order to simultaneously improve the green cover for flora and faunain the command area, the catchmentarea treatment planproposes general afforestation in 130 ha,enrichment plantation in 196 ha, natural regeneration in 154ha and agroforestry in47ha.
13.	Rehabilitation and Resettlement	Financial requirement forimplementation of R&R Package works out to Rs. 253.64Crore.
14.	Catchment Area Treatment Plan	Thecatchment area treatment plan has been approved by the State Forest Departmentvide order number F-3/94/2023/10-11/9/14 dated March 7, 2024.
15.	CER	A budget of Rs. 15.77 Crore has been allocated to implement various local development activities, based on consultations with local communities and issues raised during public hearings. The proposed activities focus on improving infrastructure, enhancing livelihoods, and promoting environmental sustainability in the project area.
16.	EMP	A budgetary provision of Rs. 29253.80 Lakh is made for Environmental Management Plan'

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण की 870 वीं बैठक दिनांक 18.02.25 में विचार विमर्श के बाद ADS जारी कर जानकारी चाही गई निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01.03.25 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area forest area से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा MoEF&CC भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के परिपालन में स्टेज–II की वन अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

iv. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करने का प्रावधान करना चाहिए।

v. पेड़ को कटने से बचाने हेतु परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पाइपलाइन बिछाते समय यदि कोई पेड़ पाइपलाइन में आने की दशा में पाइपलाइन को डाइवर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

vi. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्थायी संरचनाओं (पीएच, डीसी आदि) के निर्माण के लिए अर्जित भूमि और संपत्ति का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करे।

vii. जन सुनवाई के दौरान डैम बनने से प्रभावित आम लोगो हेतु की गई प्रतिवद्धता का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

viii. कमांड क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के सुधार के लिए अप्रोच चैनल, एप्रोच रोड और निरीक्षण पथ, पंप हाउस की सीमा आदि पर वृक्षारोपण की जाना चाहिए ।

ix. बांध की संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को बांध के डिजाइन की समीक्षा कर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधि) के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

x. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

xi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 768 वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से x को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा</u>

1. **प्रकरण क 10127/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री हरसिध्दी स्टोन केशर, पार्टनर श्री शिवम चौधरी आत्मज श्री बंशीलाल चौधरी निवासी ग्राम राजोदा कैलोद तहसील– देवास जिला– देवास (म. प्र.)– 455001 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.25 हेक्टेयर, खसरा कमांक 2/2, 3, 4, 5/2, ग्राम बरखेडी, तहसील– देवास जिला– देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 875वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **755वी बैठक दिनांक 21.05.2024** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में प्रकरण के टाईटिल में उत्पादन क्षमता पत्थर 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 41350 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा रकबा 2.25 हेक्टेयर के स्थान पर 4.80 हेक्टेयर" टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अतः प्रकरण की **"टाईटिल में उत्पादन क्षमता 41350 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता पत्थर 10500 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा रकबा 4.80 हेक्टेयर के स्थान पर 2.25 हेक्टेयर "** पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष